

Filing no. RCS-A/820/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 226 ए/2017

न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय

अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filing no. RCS-A/820/2017

CNR no. MP30010070802017

सिविल वाद क्रमांक 226 ए/2017

संस्थित दिनांक :-08/12/2017

रामदास पुत्र ध्रुव सिंह, उम्र-50 वर्ष,
निवासी-ग्राम कोषड़, तहसील-अटेर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....आवेदक/वादी

//बनाम//

1. अतिराज सिंह पुत्र छोटे सिंह, उम्र-65 वर्ष,
2. दिल्लीराम पुत्र छोटे सिंह, उम्र-70 वर्ष,
3. जसराम पुत्र छोटे सिंह यादव, उम्र-76 वर्ष,
सभी निवासी-ग्राम धरई, तहसील व जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....असल प्रतिवादीगण/अनावेदकगण

4. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....तरतीबी प्रतिवादी

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री रामकिशोर शर्मा।
प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा श्री राजकुमार श्रोतीय अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 2, 3 व 4 एकपक्षीय।

//आदेश//

(आज दिनांक **27.02.2018** को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।
2. इस मामले में ग्राम कोषड़, तहसील अटेर, जिला-भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1528 क्षे0 0.397 हे0, 1563 क्षे0 0.460 हे0, 1564 क्षे0 0.199 हे0, 1568 क्षे0 0.345 हे0, 1578 क्षे0 0.439 हे0, 1583 क्षे0 0.219 हे0, 1584 क्षे0 0.303 हे0, 1587/1 क्षे0 0.073 हे0, 1588/1 क्षे0 0.219 हे0, 1623/1 क्षे0 0.219 हे0, 1624/1 क्षे0 0.105 हे0, 1627 क्षे0 0.251 हे0, 1628 क्षे0 0.219 हे0, 1585 क्षे0 0.470 हे0 एवं सर्वे क्रमांक 1648 क्षे0 0.219 हेक्टेयर (एतस्मिन् पश्चात् "विवादित भूमियाँ" से निर्दिष्ट) पर अग्रक्रयाधिकार की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।

3. वादी का आवेदन संक्षेप में यह है कि विवादित भूमियाँ वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 की पैत्रिक सम्पत्ति होने से संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति हैं और विरासत में उन्हें प्राप्त हुयी हैं। वादपत्र के पैरा-2 में वंशवृक्ष के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं, मूल पुरुष सिरोमन सिंह के दो पुत्र छोटे सिंह व ध्रुव सिंह थे, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 उक्त छोटे सिंह के पुत्रगण हैं और वादी रामदास उक्त ध्रुव सिंह के पुत्रों में से एक है। करीब 40 वर्ष पूर्व प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 को अपनी बुआ की ग्राम धरई स्थित सम्पत्ति मिल जाने पर वे लोग ग्राम धरई में ही स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 ने सुविधा की दृष्टि से भूमि सर्वे क्रमांक 1585 व 1648 शेष रखते हुए अपने हिस्से की शेष भूमि उक्त ध्रुव सिंह के पुत्रगण रामपाल सिंह व वेद सिंह को विक्रय कर दी है। प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित भूमियों में अपने हिस्से का विक्रय करना चाहता है, दिनांक 15.07.2017 को ग्राम कोषड़ में परिवार के सदस्यों के समक्ष चर्चा के दौरान वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 अतिराज के सामने प्रस्ताव रखा कि वह अपने हिस्से की भूमि विक्रय करे तो वादी क्रय करना चाहता है और तब प्रतिवादी क्रमांक 1 अतिराज सिंह द्वारा वादी को आश्वासन दिया गया कि जब वह विवादित भूमि का हिस्सा विक्रय करेगा तो वादी अथवा वादी के भाईयों को ही विक्रय करेगा। इसके बाद बटेश्वरी पूर्णिमा के दिन प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 ग्राम कोषड़ में आये और अपना हिस्सा अन्यत्र बेचने की धमकी दी, वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 को समझाया कि विवादित भूमियाँ पैत्रिक हैं और अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है तब भी प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 नहीं माने और तैश में आकर कहा कि परिवार के सदस्य को किसी भी कीमत पर भूमि नहीं बेंचेंगे भले ही अन्य जाति के व्यक्ति को हमें सस्ते में विक्रय क्यों न करना पड़े। विवादित भूमियों को अन्यत्र विक्रय कर देने की दशा में वादी का हित प्रभावित होगा और वादी अपने अंश से वंचित हो जाएगा। उक्त परिस्थितियों में अग्रक्रयाधिकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद संस्थित किया गया है। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू विधि की बनारस शाखा से शासित हैं, वे एक ही मूल पुरुष सिरोमन सिंह के पौत्र हैं और वादी को अग्रक्रयाधिकार प्राप्त है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है, विवादित भूमियों के अन्यत्र विक्रय की दशा में वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी और आवेदन स्वीकार कर वाद के लम्बनकाल तक विवादित भूमियों के विक्रय या अन्यथा हस्तांतरण पर रोक लगायी जाये।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 का जवाब संक्षेप प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 15.07.2017 या कभी भी वादी को कोई आश्वासन नहीं दिया, वह अपने हिस्से पर काबिज है और विवादित भूमियों के विक्रय के प्रयास का तथ्य मनगढ़ंत है। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं वादी के बीच कभी भी विवादित भूमियों के विक्रय की कोई चर्चा नहीं हुई, यह वाद केवल वादी की कल्पनाओं पर आधारित है, विवादित भूमियों पर वादी का कभी कोई कब्जा भी नहीं रहा है और वादी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या भी कोई मामला नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:—

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

—: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार :—**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :—**

6. यह सिविल वाद अग्रक्रयाधिकार की घोषणा एवं प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर अपने हिस्से के विक्रय को रोकने के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है। इस तथ्य पर विवाद नहीं है कि विवादित भूमियों पर प्रतिवादीगण का भी स्वत्व है और स्वयं वादी के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 की भूमि को क्रय किये जाने का अग्रक्रयाधिकार वादी को है।

7. अग्रक्रयाधिकार की घोषणा के बाद में यह अभिवचन आवश्यक है कि विवादित भूमि विक्रय की जा चुकी है या शीघ्र ही विक्रय की जाने वाली है। इस मामले में वादपत्र में इस सुसंगत तथ्य का अभिवचन नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने हिस्से की भूमि का विक्रय किसे करना चाहता है, कब विक्रय की प्रस्थापना की गयी और कौन प्रस्तावित करता है। वादपत्र के पैरा-5 में यह अभिवचन है कि बटेश्वरी पूर्णिमा के दिन प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपना हिस्सा अन्यत्र बेचने की धमकी दी, किन्तु उक्त सुसंगत तथ्यों का कोई अभिवचन नहीं है और यह प्रकट नहीं है कि वास्तव में प्रतिवादी क्रमांक 1 कब व किसे अपना हिस्सा विक्रय करना चाहता है।

8. मध्य प्रदेश राज्य के अलग-अलग भागों में अग्रक्रयाधिकार संबंधी विधि को म0प्र0 अग्रक्रय विधि निरसन अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम क्रमांक 14) से निरसित किया जा चुका है और अग्रक्रय के संबंध में कोई स्थानीय विधि नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22 कुछ दशाओं में सम्पत्ति अर्जित करने के अधिमानी अधिकार का प्रावधान करती है, धारा 22 (1) के अनुसार किसी निर्वसीयती की स्थावर संपत्ति अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट दो या अधिक वारिसों को न्यागत हो और यदि उनमें से कोई वारिस अपने हित के अंतरण की प्रस्थापना करे तभी दूसरे वारिसों को अधिमानी अधिकार प्राप्त होगा।

9. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22 (1) के प्रावधान से यह प्रकट है कि स्थावर संपत्ति को क्रय किये जाने का अधिकार निर्वसीयती के प्रथम अनुसूची में वर्णित वारिसों को ही है। इस मामले में वादी का यह अभिवचन है कि विवादित भूमियाँ पैत्रिक सम्पत्ति हैं, विरासत में प्राप्त हुयी हैं और विभाजन नहीं हुआ है। वादपत्र के पैरा-2 में दर्शित वंशवृक्ष के अनुसार मूल पुरुष सिरामन सिंह के

पुत्र ध्रुव सिंह का पुत्र इस मामले में वादी रामदास है और प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 उक्त मूल पुरुष सिरोमन सिंह के दूसरे पुत्र छोटे सिंह के पुत्रगण हैं।

10. यदि वादपत्र में किये गये अभिवचन ही सही माने जायें तो इस मामले में मूल पुरुष सिरोमन सिंह है, सिरोमन सिंह की निर्वसीयती मृत्यु पर प्रथम अनुसूची के उत्तराधिकारी छोटे सिंह व ध्रुव सिंह होंगे और अनुसूची के वर्ग 1 में पौत्र का कोई उल्लेख नहीं होने से मूल पुरुष सिरोमन सिंह के पुत्र ध्रुव सिंह के एक पुत्र वादी रामदास को उक्त सिरोमन सिंह के दूसरे पुत्र छोटे सिंह के पुत्रगण के विरुद्ध अधिमानी अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

11. मूल पुरुष सिरोमन सिंह के पौत्र के नाते वादी रामदास अनुसूची के वर्ग 1 में वर्णित उत्तराधिकारी की श्रेणी में तभी आ सकता है जबकि उक्त सिरोमन सिंह के जीवनकाल में ही वादी के पिता ध्रुव सिंह की मृत्यु हो गयी हो और केवल उक्त दशा में ही वादी रामदास पूर्व मृत पुत्र का पुत्र होने के नाते मूल पुरुष सिरोमन सिंह का अनुसूची के वर्ग 1 का उत्तराधिकारी होगा।

12. इस मामले में सम्पूर्ण वादपत्र में सुसंगत तथ्य का कोई अभिवचन नहीं है कि वादी रामदास के पिता ध्रुव सिंह की मृत्यु मूल पुरुष सिरोमन सिंह के जीवनकाल में हो गयी थी, उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में वादी रामदास उक्त मूल पुरुष सिरोमन सिंह का अनुसूची के वर्ग 1 में वर्णित उत्तराधिकारी नहीं है और वादी के पिता के भाई छोटे सिंह के पुत्रगण प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 की सम्पत्ति के विक्रय के संबंध में वादी को संविधि में कोई अधिमानी अधिकार प्राप्त नहीं है।

13. वादी ने शपथपत्र से या अन्यथा यह भी प्रकट नहीं किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 कब व किसे अपना हिस्सा विक्रय करना चाहता है और विवादित भूमियों को शीघ्रता से व्ययन किये जाने की कोई युक्तियुक्त संभावना भी प्रकट नहीं है। उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में नहीं है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)	(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड	द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)	(म0प्र0)